अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नः पंजीकृत मूल्यांकक

(मूल्यांकनकर्ता संस्था आवेदकों के लिए)

(1 अक्टूबर, 2021 को अपडेट किया गया है)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

7वीं मंजिल, मयूर भवन, शंकर मार्केट,

कनॉट सर्कस, नई दिल्ली -110001

विषयसूची

क्रमांक [V.4.0]	विवरण	पृष्ठ सं.
1	सामान्य	3
2	आवेदन दाखिल करना	10
3	संपर्क सूत्र	12

1 सामान्य

1. मूल्यांकक संस्था (वैल्यूअर एंटिटी) कौन होता है?

उत्तर. मूल्यांकक संस्था (वैल्यूअर एंटिटी) एक पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी होती है, जो मूल्यांकन (वैल्यूएशन) का कार्य करती है।

2. पंजीकृत मूल्यांकक संस्था कौन होती है?

उत्तर. पंजीकृत मूल्यांकक संस्था (आरवी-ई) से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म या एक कंपनी से अभिप्रेत है जो कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) विनियम, 2017 (नियम) के अनुसार मूल्यांकनकर्ता के रूप में प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती है।

3. प्राधिकरण कौन होता है?

उत्तर. भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत मूल्यांकनकर्ता संस्था के रूप में पंजीकृत होने के लिए कौन पात्र (योग्य) है?

उत्तर. कोई भी पंजीकृत साझेदारी संस्था या कंपनी पंजीकरण करने के लिए पात्र (योग्य) है, बशर्ते कि वे विनियमों में प्रदान की गई पात्रता की अनिवार्यताओं को पूरा करते हैं।

5. एक पंजीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ) कौन होता है?

उत्तर. पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन (आरवीओ) विनियमों के नियम 13 के उपनियम (5) के तहत मान्यता प्राप्त संगठन और नियामकों की प्राथमिक विनियामक होता है। एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संस्था के रूप में पंजीकृत होने का प्रयास करने से पहले किसी आवेदक को पहले आरवीओ का सदस्य होना चाहिए।

6. एक पंजीकृत मूल्यांकक संस्था क्या कार्य कर सकती है?

उत्तर. एक पंजीकृत मूल्यांकक संस्था केवल उन्हीं परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर सकती है जिनके लिए पंजीकृत मूल्यांकक संस्था (आरवी-ई) पंजीकृत है।

7. पंजीकृत मूल्यांकक संस्थाएं कितनी परिसंपत्ति श्रेणियों के लिए पंजीकृत होती हैं?

उत्तर. तीन, अर्थात्,

(i) भूमि और भवन

(ii) संयंत्र और मशीनरी

(iii) प्रतिभूति और वित्तीय संपत्ति।

8. क्या किसी परिसंपत्ति विशेष (श्रेणी) के लिए पंजीकृत मूल्यांकक संस्था दूसरी श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए पंजीकरण कर सकती है?

उत्तर. हाँ, उक्त श्रेणी की परिसंपत्ति के लिए विनिर्दिष्ट पात्रता के मानदंड को पूरा करने के अधीन, जिसके लिए पंजीकरण किया जा रहा है। संस्था के पास प्रत्येक श्रेणी की परिसंपत्ति के लिए कम से कम एक अलग पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता होना चाहिए, जिसके लिए वह पंजीकरण चाहता है।

9. क्या एक आवेदक को परिसंपत्ति की सभी श्रेणियों के लिए मूल्यांकनकर्ता संस्था के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है?

उत्तर. हाँ, विनियमों के तहत निर्धारित पात्रता की शर्तों एवं नियमों के अधीन। संस्था के पास प्रत्येक श्रेणी की परिसंपत्ति के लिए कम से कम एक अलग पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता होना चाहिए, जिसके लिए वह पंजीकरण करवाना चाहता है।

10. क्या कोई आवेदक सीधे प्राधिकरण में पंजीकृत हो सकता है?

उत्तर. नहीं, कोई भी आवेदक प्राधिकरण के साथ सीधे तौर पर पंजीकृत नहीं हो सकता है। एक साझेदारी संस्था या कंपनी के आवेदन (फॉर्म बी के साथ परिशिष्ट) को आरवीओ के माध्यम से उस परिसंपत्ति वर्ग के लिए मान्यता प्राप्त आरवीओ की सिफारिश के साथ भेजा जाना चाहिए जिसके लिए पंजीकरण की मांग की जा रही है।

11. किसी आवेदक को मूल्यांकनकर्ता संस्था के सदस्य के रूप में कहाँ नामांकित किया जा सकता है?

उत्तर. आवेदक को एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन के सदस्य के रूप में नामांकित होना चाहिए।

12. एक आवेदक मूल्यांकनकर्ता संस्था नामांकन के लिए आरवीओ का चयन कैसे कर सकती है?

उत्तर. आवेदक संस्था किसी भी आरवीओ के साथ सदस्यता ले सकती है, जिसका विवरण आईबीबीआई वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। हालांकि, आवेदक केवल उस आरवीओ की सदस्यता ले सकता है जो उस श्रेणी की परिसंपत्ति के लिए मान्य है, जिसके लिए वह प्राधिकरण के साथ पंजीकरण लेने का इरादा रखता है।

13. क्या किसी एक आवेदक मूल्यांकक संस्था को दो आरवीओ के साथ नामांकित किया जा सकता है?

उत्तर. नहीं। किसी भी पंजीकृत मूल्यांकक संस्था को केवल एक ही आरवीओ के साथ नामांकित किया जा सकता है, अर्थात् वह संस्था एक ही आरवीओ का सदस्य हो सकती है।

14. पंजीकरण की शर्तें क्या हैं?

उत्तर. नियमों के तहत प्रदान किया गया पंजीकरण इस शर्त के अधीन होगा कि मूल्यांकक संस्था विनियमों के नियम 7 के तहत निर्धारित शर्तों का हर समय अनुपालन करती है।**15. एक साझेदारी फर्म या कंपनी के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकक संस्था बनने की प्रक्रिया क्या है?**

उत्तर. एक पंजीकृत मूल्यांकक संस्था (आरवीई) बनने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने वाले (अनिवार्य) चरण निम्नलिखित हैं:

चरण	विवरण
I	एक पंजीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ) के साथ सदस्यता (मूल्यांकक संस्था सदस्य) लेने का प्रयास करना। ध्यान दें: आवेदन प्राप्त होने पर, आरवीओ यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की जांच करेगा कि यह नियम के नियम 3 के तहत निर्धारित पंजीकरण के लिए पात्रता की आवश्यकताओं के अनुरूप है। नियमों के साथ पात्रता प्रमाणित करने के बाद, आरवीओ एक आवेदक को मूल्यांकनकर्ता इकाई सदस्य के रूप में नामांकित करेगा।
II	आरवीओ को आवेदक द्वारा हार्ड कॉपी में पंजीकरण के लिए आवेदन (फॉर्म-बी) जमा करना। आवेदक द्वारा आरवीओ को भौतिक रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रस्तुततीकरण सुनिश्चित करना: (i) विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म-बी; (ii) दस्तावेजी सबूतों की प्रतियां और; (iii) शुल्क के भुगतान का प्रमाण। **ध्यान दें:** पंजीकरण के लिए आवेदन (फॉर्म-बी) आवेदक द्वारा उसके सत्यापन के लिए आरवीओ को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके साथ आवेदक नामांकित है।
III	आरवीओ, आवेदक से पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन और संलग्न दस्तावेजी प्रमाणों को सत्यापित करेगा। आरवीओ आवेदन को संसाधित

	करते समय, आवेदक से आवेदन के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण मांग सकता है।
IV	आरवीओ सिफारिश कर सकता है और आईबीबीआई को आवेदन भौतिक रूप में भेज सकता है। आवेदन में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: a) फिजिकल फॉर्म बी (अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित) और फॉर्म बी में परिशिष्ट (सभी भागीदारों / निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित) b) आरवीओ द्वारा पंजीकरण के लिए सिफारिश (आरवीओ की मुहर के साथ अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित); c) दस्तावेजी सबूतों की प्रतियां; तथा, d) शुल्क के भुगतान का प्रमाण।
V	आईबीबीआई आवेदन को संसाधित करते समय, आवेदक के आरवीओ के माध्यम से आवेदक से आवेदन के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण मांग सकता है।
VI	आवेदक को प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदान किए जाने के बाद, प्राधिकरण अपनी वेबसाइट पर आरवी-ई के विवरण को अपडेट करेगा और आरवी-ई को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

16. क्या मूल्यांकनकर्ता संस्था का सदस्य अपनी सदस्यता को एक आरवीओ से दूसरे आरवीओ में स्थानांतरित कर सकता है?

उत्तर. हाँ, एक पंजीकृत मूल्यांकक संस्था के रूप में पंजीकरण से पहले, एक मूल्यांकक संस्था सदस्य अपनी सदस्यता को एक आरवीओ से दूसरे आरवीओ में स्थानांतरित कर सकता है। परिपत्र सं 10 में निर्धारित सर्कुलर संख्या आईबीबीआई/आरवीओ /029/2020 दिनांक 28 जनवरी, 2020 (आईबीबीआई की वेबसाइट पर प्रतिलिपि), जहाँ तक इकाई पर लागू हो, का पालन किया जाना चाहिए।

17. क्या एक पंजीकृत मूल्यांकक संस्था अपनी सदस्यता को एक आरवीओ से दूसरे में स्थानांतरित कर सकती है?

उत्तर. हाँ, आईबीबीआई की पूर्व अनुमति से, एक पंजीकृत मूल्यांकक संस्था अपनी सदस्यता को एक आरवीओ से दूसरे में स्थानांतरित कर सकती है। सर्कुलर संख्या

आईबीबीआई/आरवीओ/029/2020 दिनांक 28 जनवरी, 2020 (आईबीबीआई की वेबसाइट पर प्रतिलिपि), जहाँ तक इकाई पर लागू हो, का पालन किया जाना चाहिए।

18. क्या कोई आवेदक आरवीओ के साथ अपनी सदस्यता का परित्याग कर सकता है?

उत्तर. हाँ, एक संस्था सदस्य आरवीओ की अपनी सदस्यता का परित्याग कर सकता है। संस्था की पंजीकरण स्थिति, यदि पंजीकृत है, निष्क्रिय हो जाएगी।

19. क्या कोई सदस्यता कार्ड, पहचान पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण पर जारी किया जाता है?

उत्तर. पात्रता के योग्य एक आवेदक पंजीकरण के बाद पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी आवेदक को उसके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाती है, जबकि मूल प्रति आरवीओ को सौंपी जाती है, जिसका पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता (आरवी) सदस्य होता है। तथापि, पंजीकरण प्रमाण पत्र के अलावा कोई सदस्यता कार्ड/पहचान पत्र आदि जारी नहीं किया जाता है।

20. मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए साझेदारी संस्था या कंपनी के लिए पात्रता का मानदंड क्या हैं?

उत्तर. एक साझेदारी संस्था या कंपनी के लिए मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्रता के मानदंड नियमों के नियम 3 (2) के तहत बताए गए हैं।

21. क्या एक साझेदारी संस्था या किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी को मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है?

उत्तर. एक साझेदारी संस्था या एक कंपनी को मूल्यांकनकर्ता के रूप में तभी पंजीकृत किया जा सकता है जब इसे मूल्यांकन सेवाओं सहित पेशेवर या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया हो। कंपनी के मामले में, यह संस्था किसी अन्य कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट की सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी नहीं होनी चाहिए।

22. क्या सभी भागीदारों या निदेशकों को एक साझेदारी फर्म या एक कंपनी हेतू मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है?

उत्तर. हाँ, सभी भागीदारों या निदेशकों को नियम 6 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख से तीन साल के भीतर नियम 5 के तहत मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

23. एक मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए एक साझेदारी फर्म या एक कंपनी के लिए कितने भागीदारों या निदेशकों को पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता होने की आवश्यकता है?

उत्तर. साझेदारी फर्म या कंपनी के तीन या सभी भागीदारों या निदेशकों, जो भी कम हो, जैसा भी मामला हो सकता है, को कम से कम एक भागीदार या निदेशक के साथ पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता होने की आवश्यकता होती है, जो उसी परिसंपत्ति वर्ग के लिए पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता होते हैं, जिसके लिए साझेदारी फर्म या कंपनी द्वारा पंजीकरण की मांग की जा रही है। पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के पास प्रासंगिक परिसंपत्ति वर्ग के लिए अभ्यास का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

24. क्या एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता एक से अधिक पंजीकृत मूल्यांकक संस्था में निदेशक या भागीदार हो सकता है?

उत्तर. नहीं।

25. यदि किसी साझेदारी फर्म या कंपनी के साझेदार या निदेशक हैं जो 'संयंत्र और मशीनरी' जैसी परिसंपत्ति की श्रेणी में पंजीकृत मूल्यांकक हैं, तो क्या फर्म या कंपनी को 'भूमि और भवन' जैसी परिसंपत्ति की श्रेणी में एक पंजीकृत मूल्यांकक संस्था के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है?

उत्तर. नहीं, एक साझेदारी फर्म या कंपनी को 'भूमि और भवन' की परिसंपत्ति वाली श्रेणी में कम से कम एक भागीदार या निदेशक होने की आवश्यकता है, जिसे 'भूमि और भवन' की परिसंपत्ति वाली श्रेणी में एक पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण प्रदान किया जाना चाहिए।

26. क्या एक अपंजीकृत फर्म को मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है?

उत्तर. नहीं। केवल भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत एक साझेदारी संस्था या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत एक सीमित देयता भागीदारी को मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

27. क्या साझेदारी संस्था या कंपनी के पंजीकरण करने के लिए आवेदन सीधे प्राधिकरण को भेजा जा सकता है?

उत्तर. नहीं, एक साझेदारी संस्था या कंपनी के आवेदन (फॉर्म बी के साथ परिशिष्ट) को आरवीओ के माध्यम से उस परिसंपत्ति की श्रेणी के लिए मान्यता प्राप्त आरवीओ की सिफारिश के साथ भेजा जाना चाहिए जिसके लिए पंजीकरण करने की मांग की जा रही है।

28. क्या मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत होने के बाद साझेदारी फर्म या कंपनी की संरचना को बदला जा सकता है?

उत्तर. हाँ, हालांकि, इस तरह के बदलाव के बारे में जल्द से जल्द और 7 दिनों के भीतर प्राधिकरण को इस बारे में सूचना दी जानी चाहिए। भागीदार या निदेशक को हटाने के मामले में, ऐसे निष्कासन के विस्तृत कारण भी बताए जाने चाहिए।

29. क्या कंपनी के मामले में पार्टनरशिप डीड, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की शर्तों को मूल्यांकक (वैल्यूअर) के रूप में पंजीकृत होने के बाद बदला जा सकता है?

उत्तर. हाँ।, हालांकि, इस तरह के बदलाव के बारे में जल्द से जल्द और इसे लागू होने के 7 दिनों के भीतर प्राधिकरण को इस बारे में सूचना दी जानी चाहिए।

2. आवेदन दाखिल करना

30. क्या पंजीकृत मूल्यांकक संस्था क पंजीकरण हेतू आवेदन करने के लिए कोई मानक प्रारूप है?

उत्तर. हाँ। एक साझेदारी इकाई या कंपनी को नियमों के अनुलग्नक II के फॉर्म बी के अनुसार आवेदन जमा करना होगा।

31. आवेदन जमा करने के कितने दिनों के भीतर पंजीकरण प्रदान किया जाता है?

उत्तर. आवेदक को पात्रता और अन्य निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन, अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने, या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने, जैसा भी मामला हो, के लिए दिए गए समय को छोड़कर, आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर एक आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

32. यदि किसी आवेदन के संबंध में कोई अवलोकन/प्रश्न है, तो आवेदक द्वारा कितने दिनों में प्रश्न का समाधान किया जाना चाहिए?

उत्तरः पूछताछ की तारीख से 21 दिनों के भीतर।

33. यदि प्रश्न 21 दिनों के भीतर संबोधित नहीं किया जाता है तो क्या होगा?

उत्तर : आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है। इसलिए अस्वीकार हो सकता है।

34. यदि 21 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण/सूचना प्रस्तुत करने के अभाव में खारिज कर दिया जाता है, तो क्या नया आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर. हाँ।

35. क्या आवेदन पत्र के साथ शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है?

उत्तर. हाँ, यदि आवेदक साझेदारी संस्था (पार्टनरशिप एंटिटी) या कंपनी है तो उसके द्वारा एक गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क रु.10,000/- (साथ ही लागू कर) का भुगतान किया जाएगा।

36. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः

चरण	गतिविधि	द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिविधि	विवरण
1	**फॉर्म-बी जमा करना**	**आवेदक**	आवेदक अपने आरवीओ को फॉर्म-बी और सहायक दस्तावेजी सबूत जमा करता है। आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज भौतिक रूप में आरवीओ को भेजने होंगे: (i) भौतिक रूप-बी; (ii) सहायक दस्तावेजों का प्रमाण और; (iii) आरवीओ को भुगतान प्रमाण।
2	**फॉर्म बी का सत्यापन**	**आरवीओ**	आरवीओ आवेदक संस्था से प्राप्त फिज़िकल फॉर्म बी और सहायक दस्तावेजों को सत्यापित करेगा।
3	**आरवीओ की सिफारिश/अनुमोदन**	**आरवीओ**	आरवीओ पंजीकरण के लिए आवेदन की सिफारिश कर सकता है और आईबीबीआई को भौतिक आवेदन भेज सकता है। आवेदन में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: a) फॉर्म-बी के लिए चेकलिस्ट (आरवीओ के साथ साझा); b) कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित भौतिक प्रपत्र - बी; c) सभी भागीदारों/निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र-बी में परिशिष्ट; d) पंजीकरण के लिए आरवीओ द्वारा सिफारिश (आरवीओ की मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित) e) सहायक दस्तावेज, और f) शुल्क के भुगतान का प्रमाण।
4	**अंतिम स्वीकृति**	**आईबीबीआई**	आईबीबीआई नियमों के साथ आवेदक इकाई की पात्रता स्थापित करने के बाद आवेदक इकाई को पंजीकरण प्रदान कर सकता है। आरवीई का विवरण आईबीबीआई की वेबसाइट पर दर्शाया गया है। अंतिम अनुमोदन के बाद प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा।

3. संपर्क सूत्र

37. आवेदन दाखिल करने के बाद, आवेदन की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी की आवश्यकता होने पर आवेदक को किससे संपर्क करना चाहिए?

उत्तर. नियमों के तहत निर्धारित समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए संबंधित आरवीओ से संपर्क किया जा सकता है।

38. यदि आवेदक को कोई प्रश्न/स्पष्टीकरण अनुरोध प्राप्त हुआ है, तो मामले में और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर किससे संपर्क किया जाना चाहिए?

उत्तर. संबंधित आरवीओ से संपर्क किया जा सकता है। पंजीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ) प्राप्त टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण के साथ आवेदकों का मार्गदर्शन करेंगे।

39. हमें आरवीओ के संपर्क विवरण कहां मिल सकते हैं?

उत्तर. आरवीओ के संपर्क विवरण कैप्चर करने वाला आईबीबीआई वेबसाइट लिंक निम्नानुसार हैः https://ibbi.gov.in/service-provider/valuer-organisations

40. पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण के मामले में कहाँ पर संपर्क करें?

उत्तर. संबंधित आरवीओ से संपर्क किया जा सकता है।

यदि आरवीओ को संदर्भित किसी भी प्रश्न का समाधान 7 दिनों के भीतर नहीं होता है, तो ईमेल को संबंधित आरवीओ को एक प्रति के साथ valuer@ibbi.gov.in पर अग्रेषित किया जाना चाहिए।

*****